

# राजस्थान सरकार

## स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-३ राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर-१६)

क्रमांक: मॉ.प्र./डीएलबी/ई-गवर्नर्स/ ६१८०-६३९२

दिनांक:— २६.११.२०२०

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिका,  
समस्त राजस्थान।

विषय:— नगरीय निकायों की सेवाओं की ऑनलाईन सॉफ्टवेयर (मॉड्यूल) को आमजन के लिए लागू किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा नगरीय निकायों हेतु नगरीय विकास कर (UD Tax) का ऑनलाईन सॉफ्टवेयर विकसित कराया जा चुका है। उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से समस्त नगरीय निकायों में नगरीय क्षेत्रों में स्थित सम्पत्तियों का नगरीय विकास कर की गणना कर वसूली की जा सकेगी।

इस संबंध में आमजन तक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर की जानकारी पहुँचाने के लिए नगरीय निकाय की वेबसाईट पर इसकी सूचना एवं ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का लिंक अपलोड करते हुये नगरीय निकाय के सूचना पट्ट पर भी जानकारी अंकित कराते हुये आमजन को अवगत करावें साथ ही उक्त ऑनलाईन सेवा प्रदत्त करना सुनिश्चित करें।

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: मॉ.प्र./डीएलबी/ई-गवर्नर्स/ ६२९३-६४०२

दिनांक:— २६.११.२०२०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

- निजी सचिव, शासन सचिव, रायायत शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- उप निदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
- सुरक्षित प्राप्ति।

अतिरिक्त निदेशक